रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270899
CG-DL-E-12032026-270899

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2026/फाल्गुन 21, 1947
No. 174] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2026/PHALGUNA 21, 1947

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

(विधि साहित्य प्रकाशन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026

सा.का.नि. 180(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2006, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन में समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2026 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** – ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा; जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि –** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रधान संपादक (हिन्दी)	1* (2025)*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-2,15,900रु.)	चयन पद ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।

(11)

प्रोन्नति द्वारा :— संपादक (हिन्दी), जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.) में श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, तथा सुसंगत क्षेत्र में दो सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो ।

टिप्पण :— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो:

प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) – केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत निकाय या कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:

(क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात्:-

(अ) शैक्षणिक अर्हता **:**

(क)(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक डिग्री; और

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी का एक वैकल्पिक या अनिवार्य विषय के रूप में अध्ययन किया हो;

या

(ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में मास्टर डिग्री: और

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी का एक वैकल्पिक या अनिवार्य विषय के रूप में अध्ययन किया हो;

(आ) अनुभव :

(क) अभ्यर्थियों के लिए, जिनके पास स्नातक डिग्री है :

(i) विधिक कार्यों में पंद्रह वर्ष का अनुभव; या

(ii) एक अर्हित विधिक व्यवसायी है, जिसने पंद्रह वर्ष तक इस रूप में व्यवसाय किया है; या

(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में विधि पढ़ाने का पंद्रह वर्ष का अनुभव; या

(iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में विधि रिपोर्टों या पत्रिकाओं का हिन्दी में संपादन करने या न्यायालय निर्णयों, कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का हिन्दी में अनुवाद करने का पंद्रह वर्ष का अनुभव ।

(ख) अभ्यर्थियों के लिए, जिनके पास मास्टर डिग्री है :

(i) विधिक कार्यों में तेरह वर्ष का अनुभव; या

(ii) एक अर्हित विधिक व्यवसायी, जिसने तेरह वर्ष तक इस रूप में व्यवसाय किया है; या

(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में विधि पढ़ाने का तेरह वर्ष का अनुभव; या

(iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में विधि रिपोर्टों या पत्रिकाओं का हिन्दी में संपादन करने या न्यायालय निर्णयों, कानूनों, कानूनी नियमों तथा आदेशों का हिन्दी में अनुवाद करने का तेरह वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण—1. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण—2. प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच (5) वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण—3. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण—4. पद 'विधिक कार्य' से न्यायालय मामलों का व्यौहार, प्रारुपण, अभिवचन तथा हस्तांतर-लेखन या विधि सलाह देना या विधान प्रारूपण अभिप्रेत है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग : - अध्यक्ष 2. सचिव, विधायी विभाग : - सदस्य 3. अपर सचिव, विधायी विभाग : - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संपादक (हिन्दी)	3* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रोन्नति द्वारा :— विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन में सहायक संपादक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु.) में श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो तथा सुसंगत क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो । **टिप्पण** :— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संदर्भ में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, उनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत निकाय या कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी : (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात् :—

(अ) शैक्षणिक अर्हता :

(क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक डिग्री : और

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी का एक वैकल्पिक या अनिवार्य विषय के रूप में अध्ययन किया हो :

या

(ख) शैक्षणिक अर्हता: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में मास्टर डिग्री ; और

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी का एक वैकल्पिक या अनिवार्य विषय के रूप में अध्ययन किया हो ;

या

(आ) (क) अभ्यर्थियों के लिए, जिनके पास विधि स्नातक डिग्री है :

(i) विधिक कार्यों में दस वर्ष का अनुभव ; या

(ii) एक अर्हित विधिक व्यवसायी है, जिसने दस वर्ष तक इस रूप में व्यवसाय किया है ; या

(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्व्‍विद्यालय या संस्थान में विधि पढ़ाने का दस वर्ष का अनुभव ; या

(iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से विधि-रिपोर्टों या पत्रिकाओं का हिन्दी में संपादन करने या न्यायालय निर्णयों, कानूनों, कानूनी नियमों तथा आदेशों का हिन्दी में अनुवाद करने का दस वर्ष का अनुभव ।

(ख) अभ्यर्थियों के लिए जिनके पास मास्टर डिग्री है :

(i) विधिक कार्यों में आठ वर्ष का अनुभव ; या

(ii) एक अर्हित विधिक व्यवसायी है जिसने आठ वर्ष तक इस रूप में व्यवसाय किया है ; या

(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्व्‍विद्यालय या संस्थान में विधि पढ़ाने का आठ वर्ष का अनुभव ; या

(iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से विधि-रिपोर्टों या पत्रिकाओं का हिन्दी में संपादन करने या न्यायालय निर्णयों, कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का हिन्दी में अनुवाद करने का आठ वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण—1. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पद नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण—2. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर द्वारा पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारण 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण—3. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग : — अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

2. सचिव, विधायी विभाग :— सदस्य 3. अपर सचिव या संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी विधायी विभाग :— सदस्य	

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक संपादक (हिन्दी)	7* (2025) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनतुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–11 (67700-208700 रु.)	चयन पद।	चालीस वर्ष से अनधिक। **टिप्पण—1.** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण—2.** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	**(अ) शैक्षणिक अर्हताएं:** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक डिग्री या विधि में मास्टर डिग्री; (ii) मान्यताप्राप्त बोर्ड से वरिष्ठ माध्यमिक (12वीं कक्षा) स्तर पर हिन्दी एक वैकल्पिक या अनिवार्य विषय हो ; (iii) मान्यताप्राप्त बोर्ड से वरिष्ठ माध्यमिक (12वीं कक्षा) स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय के रूप में हो। **(आ) अनुभव :** (क) अभ्यर्थियों के लिए जिनके पास विधि में स्नातक डिग्री है: (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वायत्त संगठन में विधि कार्यों में सात वर्ष का अनुभव; या (ii) एक अर्हित विधि व्यवसायी हों, जिसने ऐसे रूप में सात वर्ष व्यवसाय किया हो; या (iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में न्यायालय निर्णयों, कानूनों, कानूनी नियमों तथा आदेशों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का या केंद्रीय सरकार

						या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन किसी संस्थान द्वारा प्रकाशित विधि पत्रिका की पर्यवेक्षकीय क्षमता में संपादकीय कार्य में सात वर्ष का अनुभव । (ख) अभ्यर्थियों के लिए जिनके पास विधि में मास्टर डिग्री है: (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में विधिक कार्यों में पांच वर्ष का अनुभव हो या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वायत्त संगठन का कोई अधिकारी; या (ii) जो एक अर्हित विधि व्यवसायी, जिसने ऐसे रूप में पांच वर्ष के लिए व्यवसाय किया हो ; या (iii) जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में न्यायालय निर्णयों, कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का अनुभव हो या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अधीन किसी संस्थान द्वारा प्रकाशित विधि पत्रिका की पर्यवेक्षकीय क्षमता में संपादकीय कार्य में पांच वर्ष की अवधि का अनुभव हो; या (iv) जिसे मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में पांच वर्ष का विधि में पढ़ाने का अनुभव हो । **टिप्पण—1.** अनुभव संबंधी अर्हता, ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों

						के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **टिप्पण—2.** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण—3.** अनुभव के अधीन प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'अर्हित विधिक व्यवसायी' के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो अधिवक्ता है, आता है तथा जिसने विधि में मास्टर डिग्री होने की दशा में पांच वर्ष के लिए व्यवसाय किया हो या विधि में स्नातक डिग्री होने की दशा में सात वर्ष व्यवसाय किया हो। **टिप्पण—4.** पद 'विधिक कार्य' से न्यायालय मामलों का व्यौहार, प्रारूपण, अभिवचन तथा हस्तांतर-लेखन या विधि सलाह देना या विधान प्रारूपण अभिप्रेत है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ओमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष टिप्पण : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को, केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।	(i) पचहत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (ii) पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नत्ति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रोन्नति द्वारा : विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन में उप संपादक, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (44900-142400 रु.) में श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की हो तथा सुसंगत क्षेत्र में दो सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो । **टिप्पण—1.** इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर उप संपादक, जिन्होंने नियमित आधार पर पोषक पद धारण किया हुआ हो, के संबंध में पात्रता सेवा आठ वर्ष बनी रहेगी । **टिप्पण—2.** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति द्वारा :** (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या कानूनी निकाय या स्वायत्त संगठन के अधिकारी : (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण लिया हो ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा की हो ; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, **टिप्पण—1.** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण—2.** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण—3.** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	
(12)	
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा : – अध्यक्ष 2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शी (प्रशासन)	1. विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय – अध्यक्ष

विधायी विभाग : – सदस्य 3. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (प्रशासन से भिन्न), विधायी विभाग : – सदस्य	2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शी, विधायी विभाग : – सदस्य 3. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, विधायी विभा – सदस्य

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(13)
प्रोन्नति और सीधी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-12018/3/2017-वीएसपी (प्रशा.)]

अश्वनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
(VIDHI SAHITYA PRAKASHAN)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2026

G.S.R. 180(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Vidhi Sahitya Prakashan (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts in the Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Vidhi Sahitya Prakashan (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application- These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix - The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5**. Disqualification.** - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds of so doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to the recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special category of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether Selection post or non Selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Chief Editor (Hindi).	1*(2025). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non Ministerial.	Level-13 in the pay matrix. (Rs. 123100-215900).	Selection post.

Age-limit for direct recruits.
(6)
Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.
(7)
Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
By promotion: Editor (Hindi) in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) with five years regular service in the grade, and having successfully completed training of two weeks duration in the relevant field. Note - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already

completed such qualifying or eligibility service.

By deputation (including short-term contract):
Officers of the Central Government or State Government or a Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation, public sector undertaking or recognised university or recognised research institute:
(a)(i)holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii)with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) in the parent cadre or department; and

(b)possessing the following educational qualifications and experience, namely:-
(A)Educational qualification:
(a)(i)Bachelor's degree in Law from a recognised university or institute; and
(ii)had studied Hindi and English as an elective or compulsory subject at the degree level from a recognised university or institute;
Or
(b)(i)Master's degree in Law from a recognised university or institute; and
(ii)had studied Hindi and English as an elective or compulsory subject at degree level from a recognised university or institute;
(B) Experience:
(a) for candidates possessing Bachelor's degree:
(i) fifteen year's experience in legal affairs; or
(ii) a qualified legal practitioner who has practised as such for fifteen years; or
(iii) fifteen years experience in teaching law in a recognised university or institute; or
(iv) has fifteen years experience of editing Law reports or journals in Hindi or translation into Hindi of court judgments, statutes, statutory rules and orders in the Central Government or the State Government or Union territory Administration;
(b) for candidates possessing Master's degree:
(i) thirteen years experience in legal affairs; or
(ii) has been a qualified legal practitioner who has practised as such for thirteen years; or
(iii) has thirteen years experience of teaching law in a recognised university or institute; or
(iv) has thirteen years experience of editing Law Reports or Journals in Hindi or translation into Hindi of Court Judgments, statutes, statutory rules and orders in Central Government or State Government or Union territory Administration;

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2: The Period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
Note 4: The term 'legal affairs' means dealing with court cases, drafting, pleadings and conveyancing or giving legal advice or drafting of legislations.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its' composition.

(12)

Departmental Promotion Committee
1. Chairman/Member, Union Public Service Commission: Chairperson;
2. Secretary, Legislative Department: Member;
3. Additional Secretary, Legislative Department: Member.

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.

(13)

Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Editor (Hindi).	3* (2025). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200).	Selection post.

(6)

Not applicable.

(7)

Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which deputation (including short-term contract).

(11)

By promotion:-

Assistant Editor in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) of Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department with five years regular service in the grade and having successfully completed training of two weeks duration in the relevant field.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation (including short-term contract):

Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organization or public sector undertaking or recognised research institute:

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) in the parent cadre or Department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: -

(A) (a) Educational qualification:

(i) Bachelor's degree in Law from a recognised university or institute; and

(ii) had studied Hindi as an elective or compulsory subject at degree level from a recognised university or institute;

Or

(b) Educational qualification:

(i) Master's Degree in Law from a recognised university or institute; and

(ii) had studied Hindi as an elective or compulsory subject at degree level from a recognised university or institute;

(B)(a) Experience for candidates possessing Bachelor's degree in law:

(i) ten years experience in legal affairs; or

(ii) has been a qualified legal practitioner who has practised as such for ten years; or

(iii) has ten years experience in teaching law in a recognised university or institute; or

(iv) has ten years' experience of editing Law Reports or journals in Hindi, or translation into Hindi of court judgments, statutes, statutory rules and orders in the Central Government or State Government or Union territory Administration;

(b) Experience for candidates possessing Master's degree in law:
(i) eight years experience in legal affairs; or
(ii) has been a qualified legal practitioner who has practised as such for eight years; or
(iii) has eight years experience in teaching law in a recognised university or institute; or
(iv) has eight years experience of editing Law Reports or journals in Hindi, or translation into Hindi of court judgments, statutes, statutory rules and orders in Central Government or State Government or Union territory Administration;

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of the promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)

Departmental Promotion Committee

1. Chairman/Member, Union Public Service Commission: Chairperson;
2. Secretary, Legislative Department: Member;
3. Additional Secretary or Joint Secretary and Legislative Counsel, Legislative Department: Member.

(13)

Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Assistant Editor (Hindi).	7* (2025). *Subject to variation Dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Selection post.

(6)

Not exceeding forty years.

Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)

(A) Educational Qualifications:
(i) Bachelor's degree in Law or Master's degree in Law from a recognised university or institute;
(ii) Hindi as an elective or compulsory subject at Senior Secondary (Class 12th) level from a recognised Board.
(iii) English as a compulsory subject at Senior Secondary (Class 12th) level from a recognised Board.

(B) Experience:
(a) for candidates possessing Bachelor's degree in Law:
(i) seven years' experience in legal affairs in Central Government or State Government or Union territory Administration or public sector undertaking or statutory body or autonomous organisation; or
(ii) has been a qualified legal practitioner, who has practiced as such for seven years; or
(iii) has seven years experience in translation from English to Hindi of court judgments, statutes, statutory rules and orders in the Central Government or State Government or Union territory Administration or experience in editorial work in supervisory capacity of a Law journal published by an institute under Central Government or State Government or Union territory Administration.

Experience:

(b) for candidates possessing Master's degree in Law:

(i) five years' experience in legal affairs in Central Government or State Government or Union territory Administration or an officer in a public sector undertaking or statutory body or autonomous organisation; or

(ii) is a qualified legal practitioner, who has practiced as such for five years; or

(iii) experience in translation from English to Hindi of court judgments, statutes, statutory rules and orders in the Central Government or State Government or Union territory Administration or experience in editorial work in supervisory capacity of a Law Journal published by an institute under Central Government or State Government or Union territory Administration for a period of five years; or

(iv) teaching experience in law for five years in a recognised university or institute.

Note 1: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 3: The expression 'qualified legal practitioner' used under experience includes a person who is an advocate and has practiced as such for five years in case of candidates possessing Master's degree in law or seven years in case of Bachelor's degree in law.

Note 4: The term 'legal affair' means dealing with court cases, drafting, pleadings and conveyancing, or giving legal advice, or drafting of legislations.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. [Note: There shall be a mandatory induction training for direct recruits of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.]	(i) Seventy-five per cent. by direct recruitment. (ii)twenty-five per cent. by promotion failing which by deputation (including short-term contract).

(11)

By promotion:

Sub-Editor, in the level 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix, of Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department with nine years regular services in the grade and having successfully completed training of two weeks duration in the relevant field.

Note 1: The eligibility service in respect of Sub-Editor holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of these rules shall continue to be eight years.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation (including short-term contract):

Officer of the Central Government or State Government or Union territory Administration or recognised university or research institute or public sector undertaking or statutory body or autonomous organisation:

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years of service rendered after appointment to the post on regular basis in level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix in the parent cadre or Department:

and

(b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruitment under column (7),

Note 1: The Departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)

Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	**Departmental Confirmation Committee** (for considering confirmation) consisting of:-
1. Chairman or Member, Union Public Service Commission:Chairperson;	1. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice: Chairperson;
2. Additional Secretary or Joint Secretary and Legislative Counsel(Administration), Legislative Department: Member;	2. Additional Secretary or Joint Secretary and Legislative Counsel, Legislative Department: Member;
3. Joint Secretary and Legislative Counsel(other than Administration), Legislative Department: Member.	3. Joint Secretary and Legislative Counsel, Legislative Department : Member;

(13)

Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary for promotion and direct recruitment.

[F. No. A-12018/3/2017-VSP(A)]
ASHVANI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.03.12 23:15:53 +05'30'